प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 14.10.2025

थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

□पंजाब राज्य से बिहार राज्य के लिए 01 ट्रक से परिवहन की जा रही कुल 900 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद।

□एसओजी व थाना मुगलसराय पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में अवैध शराब की बरामदगी करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लाग्हें द्वारा शराब तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर श्री अनन्त चन्द्रशेखर एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर श्री कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय गगनराज सिंह मय हमराह व एस0ओ0जी0 प्रभारी आशीष मिश्रा को बिहार मद्य निषेध इकाई बिहार से सूचना मिली कि पंजाब राज्य से अवैध शराब लेकर हाईवे से मिनी ट्रक आ रही है जो टेंगरा मोड से मिर्जापुर की तरफ से होते हुए बिहार जायेगी उक्त ट्रक के बेसमेंट में छिपाकर अंग्रेजी शराब लेकर आ रही है।

प्राप्त सूचना के आधार पर एसओजी पुलिस टीम व थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही के दौरान दिनांक 13.10.2025 को समय 22.50 बजे ग्राम मिल्कीपुर हाइवे के पास से एक ट्रक UP53GT2368 से 23 पेटी इंपीरियल ब्लू प्रत्येक बोतल मात्रा 750 ML, 77 पेटी इंपीरियल ब्लू प्रत्येक बोतल मात्रा 375 ML कुल मात्रा 900 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान 1. सतपाल पुत्र जसवंत निवासी भंवर कुआं थाना भवर कुआं जनपद इंदौर राज्य मध्य प्रदेश उम्र करीब 34 वर्ष, 2. गुलज़ार पुत्र बरकत अली निवासी ग्राम मल्लू पुर थाना बादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 25 वर्ष के रूप में हुई। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0-510/2025 धारा 60/63 आबकारी अधि0, 109(1) बीएनएस के तहत पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण-

1.सतपाल पुत्र जसवंत निवासी भंवर कुआं थाना भवर कुआं जनपद इंदौर राज्य मध्य प्रदेश उम्र करीब 34 वर्ष

2.गुलज़ार पुत्र बरकत अली निवासी ग्राम मल्लू पुर थाना बादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास सतपाल सिंह-

1.मु0अ0स0 510/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 109(1) BNS थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

आपराधिक इतिहास गुलजार खान-

1.मु0अ0स0 510/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 109(1) BNS थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

2.मु0अ0स0 05/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 318(4)/319/338/339/340 BNS थाना बबुरी जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी:-

एक मिनी ट्रक UP53GT2368

23 पेटी इंपीरियल ब्लू प्रत्येक बोतल मात्रा 750 ML,

77 पेटी इंपीरियल ब्लू प्रत्येक बोतल मात्रा 375 ML,

कुल मात्रा 900 लीटर अवैध शराब

बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 9.00 लाख रूपये।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

2.एस0ओ0जी0 प्रभारी आशीष मिश्रा मय हमराह जनपद चन्दौली ।

3.उ0नि0 अजय कुमार चौकी प्रभारी रेलवे कालोनी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

4.उ0नि0 अभिषेक शुक्ला चौकी प्रभारी जलीलपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

5.उ0नि0 मनोज तिवारी चौकी प्रभारी कूड़ा बाजार थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

6.उ0नि0 संजय सिंह चौकी प्रभारी औद्योगिक नगर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

7.हे0का0 अतुल सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

8.हे0का0 भूपेश कुमार थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

9.हे0का0 गौरव सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

थाना बलुआ, जनपद चन्दौली

□थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त के कब्जें से 01 अवैध असलहा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 स्कार्पियो वाहन बरामद कर किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर अपर पुलिस अधीक्षक सदर (IPS) क्षेत्राधिकारी सकलडीहा स्नेहा तिवारी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना बलुआ के नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा रईया मोड बहद ग्राम रईया में चेकिंग के दौरान 01 व्यक्ति जिसकी पहचान कृष्णकांत उर्फ पुच्चू पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम चक गुरेरा थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 21 वर्ष जिसके कब्जें से 01 अवैध असलहा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 एक स्कार्पियो वाहन संख्या UP62R0777 बरामद कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-266/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया कि मैंने यह अवैध असलहा बिहार के मुंगेर से खरीदा है। जिससे खरीदा हूँ उसका नाम पता नही जानता हूँ यह अवैध असलहा मैं लोगों में भय पैदा करने व अपना रुतबा कायम करने के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कृष्णकांत उर्फ पुच्चू पुत्र महेन्द्र निवासी चक गुरेरा थाना बलुआ जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

1.01 अवैध असलहा 315 बोर

2.02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

3.01 स्कार्पियों वाहन संख्या UP62R0777 (207 एमवी एक्ट में सीज)

4.01 मोबाइल फोन इनफिनिस कम्पनी का

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1.मु0अ0सं0- 133/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना बलुआ जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0- 266/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी का विवरणः-

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना बलुआ जनपद चन्दौली,

2.उ0नि0 सुबाष कुमार गौतम चौकी प्रभारी मोहरगंज थाना बलुआ जनपद चन्दौली

3.का0 कृष्ण कुमार यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली

4.का0 अनुज कुमार वर्मा थाना बलुआ जनपद चन्दौली

5.का0 अल्ताफ अहमद थाना बलुआ जनपद चन्दौली

थाना चन्दौली, जनपद चन्दौली

▶ थाना चन्दौली व रेलवे पुलिस टीम के संयुक्त कार्यवाही में अवैध 540 लीटर देशी शराब व 60 लीटर बीयर के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

चन्दौली- आदित्य लाग्हें, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा शराब तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर(IPS) व क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चन्दौली संजय सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.10.2025 को उ0नि0 रावेन्द्र सिंह मय हमराह के साथ भगवानपुर फाटक के पास मौजूद थे उसी दौरान कि सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रेलवे लाईन भगवानपुर के पास कुछ बोरो मे अवैध शराब बिहार ले जाते की फिराक मे है कि भगवान पुर रेलवे फाटक पर पूर्व से मौजूद रेलवे सु० पुलिस टीम के साथ भगवानपुर नहर के सामने रेलवे लाइन पोल न0 102/10..12 के मध्य खड़े एक व्यक्ति को पकडा गया पकड़े गए व्यक्ति की पहचान संतोष कुमार पुत्र स्व० विश्वनाथ निवासी ग्राम केशव मार्केट थाना बारुन जिला औरंगाबाद बिहार के रुप में हुई जिसके कब्जें से कुल 20 जूट के बोरे मे 60 पेटी अवैध देशी शराब प्रत्येक पेटी मे (45 पाउच मात्रा 200 ML) कुल मात्रा 540 लीटर तथा कुल 5 पेटी बियर किंग फिशर ब्राण्ड प्रत्येक पेटी में 24 केन (प्रत्येक की मात्रा 500 ML) कुल 60 लीटर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 296/25 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 296/25 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना व जिला चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.संतोष कुमार यादव पुत्र विश्वनाथ यादव निवासी ग्राम केशव मार्केट थाना बारुन जिला औरंगाबाद बिहार उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 रावेन्द्र सिह चौकी प्रभारी मण्डी थाना व जिला चन्दौली।
2.उ0नि0 राजेश कुमार चन्द(रेलवे)
3.उ0नि0 इन्द्र कुमार (रेलवे)
4.उ0नि0 संतोष कुमार सिंह (क्राईमसेल DDU),
5आरक्षी छोटेलाल यादव(रेलवे)
6.आरक्षी कुन्दन कुमार सिंह(रेलवे)
7.का0 प्रियेस यादव थाना व जिला चन्दौली।